

दिनांक 4 फरवरी, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

**जैविक उत्पादों के लिए वैश्विक मांग**

237. श्री सुधीर गुसा:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिए जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने नए विनियमों के साथ राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का आठवां संस्करण जारी किया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और
- (ङ) सरकार द्वारा अगले तीन वर्षों में वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसानों को जैविक खेती में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है।

जैविक उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार में वृद्धि	
वर्ष	वैश्विक बाजार का मूल्य (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2018	105.00
2019	112.00
2020	129.00
2021	135.50
2022	141.75

स्रोत: वर्ष 2020 से 2024 के लिए एफआईबीएल और आईएफओएएम-ऑर्गेनिक इंटरनेशनल की रिपोर्ट

(ख) भारत सरकार जैविक उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सकेंद्रित पहल कर रही है। भारत के उत्पादन आधार और जैविक उत्पादों की वैश्विक मांग के रुझान को देखते हुए, भविष्य में भारत में दुनिया के प्रमुख जैविक उत्पाद निर्यातक देशों में से एक बनने की क्षमता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) का आठवां संस्करण दिनांक 9 जनवरी 2025 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है। यह एपीडा की वेबसाइट <https://npop.apeda.gov.in/> पर उपलब्ध है। अध्याय 2 एनपीओपी के विषय-क्षेत्र, उद्देश्य और परिचालन संरचना को विनिर्दिष्ट करता है। इसका विषय-क्षेत्र और उद्देश्य **अनुलग्नक 1** में दिए गए हैं।

(ड.) भारत सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में नियोजित किसानों को प्रारंभ से अंत तक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करती हैं अर्थात् प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणन, विपणन और कटाई-उपरांत प्रबंधन ।

इन योजनाओं का विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है <https://www.agriwelfare.gov.in/en/Guideintegratednutrition>

\*\*\*\*\*

## एनपीओपी के विषय-क्षेत्र और उद्देश्य

### विषय-क्षेत्र

एनपीओपी में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- क. भारत सरकार के वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित जैविक उत्पादों के विकास एवं प्रमाणन संबंधी नीतियां।
- ख. जैविक उत्पादों, प्रसंस्करण, हैंडलिंग और लेबलिंग के लिए राष्ट्रीय मानक।
- ग. प्रमाणन निकायों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रमाणन कार्यक्रमों का प्रत्यायन
- घ. जैविक उत्पादों का प्रमाणन।
- ड. भारत जैविक लोगो और इसके उपयोग को नियंत्रित करने वाले विनियम।

### उद्देश्य

एनपीओपी के उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

- क. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्यायन प्राप्त करने की इच्छुक प्रमाणन निकायों के प्रत्यायित प्रमाणन कार्यक्रम और उनका मूल्यांकन।
- ख. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणन निकायों के प्रमाणन कार्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रदान करना।
- ग. विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लिए जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, हैंडलिंग और लेबलिंग हेतु राष्ट्रीय मानक विकसित करना।
- घ. पारस्परिक मान्यता समझौते के अनुसार आयातकर्ता देशों के जैविक मानकों के अनुरूप जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण को सुविधाजनक बनाना।
- ड. सतत और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना।
- च. यह सुनिश्चित करना कि प्रमाणन प्रणाली पारदर्शी, अनुपालन में आसान और अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट परिपाटियों के अनुरूप हो।
- छ. ऑपरेटरों के परिचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।

\*\*\*